

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(1)(6)/निप/भर्ती-2023 (स्थापना)/अलेसे-III/894 दिनांक :- 23/02/2026

कार्यालय आदेश

कार्यालय कोषाधिकारी, जयपुर (शहर) के पत्र क्रमांक 26 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा अग्रेषित आवेदन के आधार पर श्रीमती विनिता, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम-96 के अन्तर्गत एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 23.12.2025 से 01.01.2026 (कुल 10 दिवस)
(चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

उक्त 10 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्रीमती विनिता, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित हैं।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(1)(6)/निप/भर्ती-2023 (स्थापना)/अलेसे-III/894 दिनांक :- 23/02/2026
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 3 संयुक्त निदेशक (आईटी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 श्रीमती विनिता, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल.नं.-767746 कार्यालय कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)